पटना में दिनांक–08 अप्रैल, 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1.	बिहार कृषि विभागीय लिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2024 के आलोक में कृषि विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत पद का समर्पण/प्रत्यर्पण/सम्परिवर्तन तथा नया पदसृजन एवं संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) के अधीन स्वीकृत पदों का समर्पण/प्रत्यर्पण तद्नुसार लिपिक संवर्ग के 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

2.	श्री सुधीर कुमार, (बि०न०से०), (ग्रेड पे 4600/–सम्प्रति वेतन स्तर–7) तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर का कार्यालय) को सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी, की शास्ति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

3.	केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत बक्सर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 1,56,01,32,000/–(एक सौ छप्पन करोड़ एक लाख बत्तीस हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

4.	केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत–2.0) अंतर्गत मोतिहारी सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रू० 3,99,87,28,000/–(तीन सौ निन्यानवे करोड़ सत्तासी लाख अट्ठाईस हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(मद्यनिषेध एवं उत्पाद)

5. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत 06 जिलों यथा रोहतास (सासाराम), औरंगाबाद, प० चम्पारण (बेतिया), बेगूसराय, किशनगंज एवं गोपालगंज में स्थायी रूप से एक–एक नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोले जाने एवं उक्त सभी कार्यालयों के लिए उत्पाद रसायन परीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, निम्न वर्गीय लिपिक, उत्पाद तथा कार्यालय परिचारी के एक–एक पद एवं मद्यनिषेध सिपाही के तीन–तीन पद अर्थात् कुल 48 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. नवादा जिलान्तर्गत अंचल–पकरीबरावाँ, मौजा–कचना, थाना सं०–59, खाता सं०–606 के विभिन्न खेसरा की कुल रकबा–6.27 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) 132/33–के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि 5,64,30,000/–(पाँच करोड़ चौसठ लाख तीस हजार) रूपये के भुगतान पर बिहार स्टेट ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत संचालित सभी 927 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण तथा विडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग की सेवा लागू करने हेतु आवश्यक आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन पर कुल 38,12,10,210.00 (अड़तीस करोड़ बारह लाख दस हजार दो सौ दस) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

8. बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा इंट्री ऑपरेटर (पे लेवेल 4) के कुल 29 (उन्तीस) एवं कार्यालय परिचारी (पे लेवेल 1) के कुल 06 (छः) अर्थात कुल 35 (पैंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

9. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता विनियमावली, 2011 (यथा संशोधित, 2013) में प्रावधानित संबद्धता के मानकों को पूर्ण करने हेतु राज्य के अनुदानित 626 माध्यमिक विद्यालयों (अनुलग्नक–1) को एक वर्ष (31.03.2026 तक) के लिए अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

10. राज्य में संचालित प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं विद्यालयों के सतत् निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से "बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली, 2025" के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. डा० तबरेज अख्तर, प्राध्यापक, मोनाफेउल आजा विभाग–सह–प्रभारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

12. डा० रमण राज रमण, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बखरी, बेगूसराय को दिनांक–19.12.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

13. पचास शैय्यायुक्त एकीकृत आयुष अस्पताल, नवाब मंजिल, पटना के संचालन हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश के आलोक में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के कुल 36 (छत्तीस) पदों के सृजन के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14. बिहार दंत शिक्षा सेवा (ट्यूटर सहित) संवर्ग नियमावली –2025 को स्वीकृत एवं लागू करने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

15. गुरूगोविंद सिंह सदर अस्पताल, पटना के परिसर के दक्षिणी पूर्वी हिस्से की 11.9 डिसमील भू–खण्ड का उपयोग आम रास्ता के रूप में किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16. बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

वित्त विभाग

17. बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को वित्तीय वर्ष 2025–26 में 30 मार्च, 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ (दस हजार करोड़ रूपये) करने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

वित्त विभाग

18. प्रेस एवं फॉर्म्स, गया में रक्षित पुरानी एवं नाकामयाब मशीनों, उपकरणों एवं अन्य रद्दी सामग्रियों की बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131ज्ञ(छ) के आलोक में Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Limited (भारत सरकार का उपक्रम) को नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

वित्त विभाग

19. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–2858 दिनांक–13.03.2025 द्वारा सप्तम् राज्य वित्त आयोग के गठन किये जाने के संबंध में घटनोत्तर स्वीकृति तथा आयोग के अध्यक्ष को मंत्री एवं सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान करने के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अंचल–कुढ़नी, मौजा–चढुआ, थाना सं०–265, खाता सं०–1347, खेसरा सं०–3359 की कुल प्रस्तावित रकबा–5.07 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण किस्म–शिव स्थान की भूमि पर 100 बेड का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि–2,09,25,918/–(दो करोड़ नौ लाख पचीस हजार नौ सौ अठारह) रूपये के भुगतान पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

21. कोल वितरण नीति 2007 के तहत लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला की आपूर्ति हेतु बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि० को पाँच वर्ष के लिए (दिनांक–01.04.2025 से 31.03.2030 तक) राज्य नामित एजेंसी (State Nominated Agency) नामित करने के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

22. बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (समय–समय पर यथा संशोधित) नियमावली–2006 में संशोधन के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

23. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के अन्तर्गत –"बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली–2016" के अधीन मूल कोटि के पद सहायक उर्दू अनुवादक (वेतन स्तर–05) के बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयो यथा समाहरणालयों (जिला उर्दू भाषा कोषांग), अनुमंडल कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों के लिए पूर्व से सृजित कुल–1653 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए राज्य के विभिन्न कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल–3306 पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

24. मंत्रिपरिषद् की दिनांक 04.02.2025 की बैठक में मद संख्या–52 एवं मद संख्या–53 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में निर्गत संकल्प संख्या–299 दिनांक 27.02.2025 एवं संकल्प संख्या–300 दिनांक 27.02.2025 को निरस्त करते हुए कार्यहित में शिक्षा विभाग अंतर्गत परामर्शी के 02 (दो) पदों का सृजन करते हुए उक्त दोनों पदों के विरूद्ध श्री बैधनाथ यादव, भा०प्र०से० (2007), तत्कालीन सचिव, शिक्षा विभाग एवं श्री पंकज कुमार, भा०प्र०से० (2010), तत्कालीन निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 01.03.2025 के प्रभाव से अगले 01 (एक) वर्ष के लिए संविदा के आधार पर परामर्शी, शिक्षा विभाग के पद पर नियुक्त करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

25. स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संवर्ग (Public Health Cadre) एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग (Hospital Management Cadre) के गठन हेतु आवश्यक विभिन्न स्तर के कुल 20,016 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति। — 25. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

26. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के नगर निकायों के बकाए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल 301.18 करोड़ रूपये (तीन सौ एक करोड़ अठारह लाख रूपये) मात्र की राशि सहायक अनुदान के रूप में व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

27. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का अवधि विस्तार नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2025 अधिसूचित होने तक प्रभावी करने के संबंध में। — 27. स्वीकृत।